कार्यालय जिलाधिकारी, लखनऊ।

पत्रांक : 740 / W-30 /1987 दिनांक : 20/08/24

दिनाँक 31.07.2024 को आयोजित जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन की बैठक का कार्यवृत्तः—

जल जीवन मिशन 'हर घर जल' कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद लखनऊ के ग्रामीण क्षेत्रों की पाइप पेयजल योजनाओं के कार्यो की प्रगति हेतु दिनांक 31.07.2024 को कलेक्ट्रेट सभागार, लखनऊ मे अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता मे आहूत बैठक में निम्नलिखित अधिकारियों/फर्म प्रतिनिधियों द्वारा प्रतिभाग किया गया :—

1. श्री अजय जैन, आई0ए0एस0, मुख्य विकास अधिकारी, लखनऊ।
2. श्री अजीत कुमार सिंह, जिला विकास अधिकारी, लखनऊ।
3. श्री हिमांशु शेखर ठाकुर, जिला पंचायत राज अधिकारी, लखनऊ।
4. श्री मनोज कुमार मौर्य, अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।
5. श्री श्री राम गुप्ता, अधिशासी अभियन्ता (वि0/यां0), खण्ड कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।
6. श्री सुरेन्द्र प्रताप सिंह, सहायक अभियन्ता,खण्ड कार्यालय,उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण), लखनऊ।
7. श्री विवेक सिंह, सहायक अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।
8. श्री अमित वर्मा, सहायक अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।
9. श्री अवधेश कुमार, सहायक अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।
10. श्री आर0के0 यादव, सहायक अभियन्ता, सिचाई विभाग, लखनऊ।
11. श्री शिवशंकर कनौजिया, जूनियर इंजीनियर, खण्ड कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।
12. श्री मो0 ताबिश, जूनियर इंजीनियर, खण्ड कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।
13. श्री हरपाल सिंह, जिला समन्वयक, डी0पी0एम0यू0, लखनऊ।
14. श्री सुमित भटनागर, सी0बी0 एण्ड टी0, डी0पी0एम0यू0, लखनऊ।
15. श्रीमती शैलेन्द्री तिवारी, आई0एस0ए0 कॉर्डिनेटर, डी0पी0एम0यू0, लखनऊ।
16. श्री आर0के0 चौहान, ए0जी0एम0, मै0 एन0सी0सी0लि0, हैदराबाद।
17. श्री हरि कृष्णा, प्रोजेक्ट मैनेजर, मै0 एन0सी0सी0लि0, हैदराबाद।
18. श्री सुजीत कुमार सिंह, टी0एल0, मै0 सेन्सिस टेक लि0, लखनऊ।
19. श्री अनुज, प्रतिनिधि, मे0 सेन्सिस टेक लि0, लखनऊ।

बैठक का कार्यवृत्त निम्नानुसार हैं—

- समीक्षा बैठक में अधिशासी अभियन्ता, जल निगम द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद लखनऊ हेतु नामित फर्म मै0 एन0सी0सी0लि0, हैदराबाद द्वारा जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों में पाइप पेयजल योजना से असंतृप्त 669 नग राजस्व ग्रामों के संतृप्तिकरण हेतु कुल 376 नग पेयजल योजनाओं पर निर्माण कार्य प्रगति पर है।
- फर्म के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि 04 नग पेयजल योजनाओं पर भूमि विवाद होने के कारण निर्माण कार्य प्रभावित है। बैठक मे उपस्थित अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) को निर्देश दिये गये कि सम्बन्धित उपजिलाधिकारी से सम्पर्क स्थापित कर शीघ्र ही भूमि विवाद का निस्तारण कराना सुनिश्चित करें।
- समीक्षा बैठक में यह पाया गया कि 441 नग नलकूप के सापेक्ष 438 नग कार्य पूर्ण, 441 नग पम्प गृह के सापेक्ष 433 नग कार्य पूर्ण, 380 नग शिरोपरि जलाशय के सापेक्ष मात्र 79 नग कार्य पूर्ण, वितरण प्रणाली 4940 कि0मी0 के सापेक्ष 4771 कि0मी0 कार्य पूर्ण, 218809 नग गृह संयोजन के सापेक्ष 195820 नग कार्य पूर्ण, 669 राजस्व ग्रामों मे सड़क पुर्नस्थापना के कार्यो के सापेक्ष 361 राजस्व ग्राम मे कार्य पूर्ण एवं 669 नग राजस्व ग्रामों में हर घर जल प्रमाणीकरण के सापेक्ष 121 नग राजस्व ग्राम ही सत्यापित हो सके हैं।

उपरोक्तानुसार यह प्रतीत होता है कि शिरोपरि जलाशय, सड़क पुर्नस्थापना एवं हर घर जल प्रमाणीकरण मे कार्यदायी संस्था द्वारा काफी शिथिलता बरती गयी है। 02 वर्ष से अधिक का समय व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी शिरोपरि जलाशय के कार्य न पूर्ण होना, कार्य स्थल पर सामाग्री/मैन पावर की कमी को दर्शाता है।

उक्त के सम्बन्ध मे फर्म के प्रतिनिधि को निर्देश दिये गये कि अवशेष कार्यों को पूर्ण करने हेतु अपनी कार्य योजना प्रस्तुत करते हुए पेयजल योजना के समस्त अवशेष कार्यों में समानान्तर अतिरिक्त टीम लगाते हुए गुणवत्तापूर्वक कार्यों को अविलम्ब पूर्ण कर योजना हस्तानान्तरण की कार्यवाही सुनिश्चित करें।

- समीक्षा बैठक में टी0पी0आई0 द्वारा अवगत कराया गया कि 669 नग राजस्व ग्रामों के सापेक्ष 533 नग राजस्व ग्रामों में नियमित जलापूर्ति की जा रही है, परन्तु मात्र 94 नग राजस्व ग्रामों मे ही क्लोरीनयुक्त जलापूर्ति की जा रही है, जो काफी खेदजनक है। फर्म के प्रतिनिधि को निर्देशित किया गया कि 15 दिवस के अन्दर समस्त योजनाओं पर क्लोरीन प्लान्ट स्थापित करते हुए क्लोरीनयुक्त जलापूर्ति सुनिश्चित करायी जाये।
- समीक्षा बैठक में टी0पी0आई0 द्वारा अवगत कराया गया कि कार्यो की गुणवत्ता/प्रगति से सम्बन्धित 2434 नग एन0सी0 फर्म को उपलब्ध करायी जा चुकी है, परन्तु वर्तमान तक 1461 नग एन0सी0 (60 प्रतिशत) ही क्लोज की गयी है, जिसकी प्रगति काफी कम है। अधिशासी अभियन्ता को निर्देशित किया गया कि टी0पी0आई0 से प्राप्त एन0सी0 की समीक्षा कर फर्म से अवशेष एन0सी0 को क्लोज कराना सुनिश्चित करें।
- समीक्षा बैठक में टी0पी0आई0 द्वारा अवगत कराया गया कि जल जीवन मिशन के अन्तर्गत कराये जा रहे कार्यों में मै0 एन0सी0सी0लि0 द्वारा सुरक्षा मानक का ध्यान नही दिया जा रहा है। फर्म के प्रतिनिधि को निर्देशित किया गया कि कार्य करने वाले श्रमिकों की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए तत्काल प्रभाव से सुरक्षा मानक सामाग्री उपलब्ध करायें अन्यथा किसी प्रकार की दुर्घटना होने की दशा मे फर्म के विरूद्ध विधिक कार्यवाही की जायेगी।
- समीक्षा बैठक में टी0पी0आई0 द्वारा अवगत कराया गया कि पेयजल योजनाओं के अन्तर्गत दिये जाने वाले गृह संयोजन को घर के बाहर ही दिया जा रहा है, साथ ही कुछ कनेक्शन के पाइप नालियों से होकर गुजर रहे है, जिससे नालियाँ चोक होने एवं लीकेज होने पर प्रदूषित जल आने की प्रबल सम्भावना है। फर्म के प्रतिनिधि को घर के बाहर दिये गये कनेक्शन को घर के अन्दर करने एवं कनेक्शन हेतु डाले जा रहे पाइप को ठीक ढ़ग से कनेक्शन देने हेतु निर्देशित किया गया।
- समीक्षा बैठक में सडक पुर्नस्थापना की प्रगति काफी खराब पायी गयी, जनपद मे सड़क पुर्नस्थापना की शिकायतें विभिन्न स्तरो से भारी मात्रा मे प्राप्त हो रही है। फर्म के प्रतिनिधि को निर्देशित किया गया कि टी0एण्डपी0 एवं श्रमिकों की संख्या में वृद्धि लाते हुए उच्च गुणवत्ता का ध्यान रखते हुए 15 दिवस के अन्दर सडक पुर्नस्थापना के समस्त कार्य पूर्ण कर लिए जाये।

  उक्त के अतिरिक्त अधिशासी अभियन्ता को निर्देश दिये गये कि जनपद के समस्त विकासखण्ड सभागार मे खण्ड विकास अधिकारी की अध्यक्षता में एक नियत तिथि निर्धारित करते हुए प्लान प्रस्तुत किये जाये। उक्त बैठक मे जल निगम के सहायक अभियन्ता/जूनियर इंजीनियर/फर्म के प्रतिनिधि को अनिवार्य रूप से उपस्थित रहकर समस्त विकासखण्डों के ग्राम प्रधानों की शिकायतों का संज्ञान लेते हुए निश्चित समय मे गुणवत्तापूर्वक निस्तारण करना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही यह भी निर्देश दिये गये कि सड़क पुर्नस्थापना का कार्य से सम्बन्धित सत्यापन प्रमाणपत्र प्राप्त होने के बाद ही उसका भुगतान किया जाये।
- समीक्षा बैठक में अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) द्वारा अवगत कराया गया कि कार्यो से सम्बन्धित आर0एफ0आई0 प्रतिदिन उपलब्ध नही करायी जाती है, जिस कारणवश जल निगम के अभियन्ताओं/टी0पी0आई0 द्वारा कार्यों की जॉच करने मे असुविधा होती है। उक्त के सम्बन्ध मे फर्म को निर्देशित किया गया कि योजना से सम्बन्धित कार्यो को कराने से 01 दिन पूर्व जनपद मे कराये जा रहे समस्त कार्यो की आर0एफ0आई0 की एक पी0डी0एफ0 फाइल जल निगम के अभियन्ताओं/टी0पी0आई0 को उपलब्ध करने के निर्देश दिये गये।
- बैठक में उपस्थित डी0सी0, डी0पी0एम0यू0 को निर्देशित किया गया कि जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत गठित ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समिति को क्रियाशील किया जाये तथा उन्हे पानी के दुरूपयोग

रोकने, खराब पानी से होने वाली बीमारियों के प्रति जन मानस को जागरूक किया जाये। साथ ही पूर्ण हुई योजनाओं पर जलकर वसूली के लिए आई0एस0ए0 के माध्यम से जागरूकता अभियान चलाया जाये।

- बैठक में डी0सी0, डी0पी0एम0यू0 द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद मे जन जागरूकता से सम्बन्धित वॉल राइटिंग के कार्यों की प्रगति काफी धीमी है। अधिशासी अभियन्ता को निर्देशित किया गया कि आई0ई0सी0 संस्था को अपने स्तर से निर्देशित करते हुए जन जागरूकता से सम्बन्धित वॉल राइटिंग के कार्यों में अपेक्षित प्रगति लाना सुनिश्चित करें।

(सूर्य पाल गंगवार)
जिलाधिकारी
लखनऊ।

पृ0सं0 / / दिनांकः / /

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. मुख्य विकास अधिकारी, लखनऊ।
2. जिला विकास अधिकारी, लखनऊ।
3. अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।
4. मै0 एन0सी0सी0लि0, हैदराबाद।
5. टी0पी0आई0, मै0 सेन्सिस टेक लि0, लखनऊ।
6. डी0सी0, डी0पी0एम0यू0, लखनऊ।
7. समस्त आई0एस0ए0, लखनऊ।

जिलाधिकारी
लखनऊ।